

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2024-590

दिनांक 13 अगस्त, 2024

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
 व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित समस्त महाविद्यालय,
 सम्बद्ध प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
 प्रयागराज, उ०प्र०।

विषय: संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET-2024 के उपरान्त आयोजित हो रही काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सम्बद्ध महाविद्यालयों के कतिपय प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनके महाविद्यालय में CET-2024 की काउंसलिंग के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उनके महाविद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा दूसरे महाविद्यालय के आवंटित छात्र-छात्राओं को अपने यहां प्रवेश दिए जा रहे हैं, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है तथा विधि अनुकूल नहीं है एवं विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित व्यवस्था का उल्लंघन किए जाना जैसा है।

अतएव, आपको निर्देशित किया जाता है कि CET-2024 की काउंसलिंग के उपरान्त जिस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा जो अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवंटित किए जाएं, महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश अपने महाविद्यालय में लें, अन्य किसी महाविद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए गए प्रवेश पूर्णतः अवैध मानते हुए निरस्त कर दिए जाएंगे। अवैध प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय एवं अभ्यर्थी दोनों जिम्मेदार होंगे तथा उन्हें पुनः काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

भवदीय

(संजय कुमार)
 कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को समस्त महाविद्यालयों की लॉग-इन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव